कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

Phone/Fax 05965-230180 Email-dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 293 / 12-1 चम्पावत, दिनांक 22-7-2023।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः— **जनपद नैनीताल के ब्लाक ओखलकाण्डा में कटना से वारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव स0एफ0पी0/यू0के0/रोड/43594/2019)**

सन्दर्भः— **अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल) की पत्र संख्या 1228/8 सी0 दिनांक 01.07.2023।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद नैनीताल के ब्लाक ओखलकाण्डा में कटना से वारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सी0एफ0पी0/यू0के0/रोड/ 43594/2019) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक इन्दिनगर फॉरेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 129/एफ0सी0/यू0के0/रोड/43594/2019 दिनांक 13.07.2022 उल्लेखित की गयी आपत्तियों का निराकरण अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल) द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसके आधार पर आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है —

क्र सं0	नोडल कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां	आपत्ति निराकरण
1	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र भाग—2 प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरा जाना है। जो नहीं भरा गया है।	प्रपत्र भाग—2 भर कर संलग्न कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में संलग्न अधिकांश प्रपत्र/प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की गयी है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि यह प्रस्ताव पूर्व में 4.00 कि0मी0 में तैयार किया गया नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा मार्ग की लम्बाई कम करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके क्रम में पुनः मार्ग की लम्बाई 1.850 कि0मी0 में तैयार किया गया है। नये प्रपत्रों पर अन्य विभागों के अधिकारियों के हस्ताक्षर कराये गये। पूर्व में सभी मूल प्रतियों थी जो misplace होने के कारण छाया प्रति संलग्न है।
3	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी के स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 13 पर संलग्न है।
4	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 26,27,28 एवं 30 में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में प्ररस्पर एक रूपता नहीं है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 27,28,29,30 एवं 31 में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची को सही कर दिया है।
5	प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में प्रपत्र क्रमवार संलग्न नहीं किये गये है।	प्रस्ताव की चार प्रतियों में प्रपत्र क्रमवार संलग्न कर दिये गये है।
6	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची मे वृक्षों का वैज्ञानिक नाम एवं इग्लिंश नाम सहित सूची प्रस्ताव में संलग्न की जानी है।	प्रभावित वृक्षों के वैज्ञानिक नाम सहित सूची संलग्न कर दी गई है।।
7	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की एनाइलिस की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गयी है। डी0एस0एस0 की रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड की जानी है।	प्रभाग स्तर पर डी0एस0एस0 एनाइलिस की सुविधा उपलब्ध नही है।
8	प्रस्ताव में संलग्न के0एम0एल0 फाईल में मलवा निस्तारण स्थल नहीं दर्शाये गये है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग में निकलने वाले मलवे की के0एम0एल0 फाईल इस कार्यालय के पत्रांक 237/8सी0 दिनांक 06.02.2019 व 737/8सी0 दिनांक 22.05.2019 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को पूर्व में प्रेषित किये गये है।
9	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में वर्तमान दरों के अनुसार संलग्न की जाये।	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना वर्तमान दरों के अनुसार संलग्न किया गया है।
10	वैकल्पिक समरेखन एवं वर्तमान समरेखन की लम्बाई का विवरण एवं प्रभावित वन भूमि का comparative	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वैकल्पिक समरेखन एवं वर्तमान समरेखन एवं वर्तमान समरेखन की लम्बाई का विवरण एवं प्रभावित वन

	chart प्रस्ताव में संलग्न होना है।	भूमि का comparative chart प्रस्ताव के पृष्ठ 19 एवं 20 में संलग्न है।
11	परियोजना एवं वर्तमान समरेखन में प्रभावित वृक्षों की सूची संलग्न की जानी है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान समरेखन को ही स्वीकृत किया गया है, जिस कारण वर्तमान समरेखन पर ही वृक्षों की गणना की गयी है। वैकल्पिक समरेखन पर वृक्षों की गणना कर प्रेषित की जा रही है। पृष्ठ संख्या–28
12	परियोजना में नाप भूमि से सम्बन्धित भूमिधरों के स्वामित्व व उनकी अनापत्ति संलग्न की जानी है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना में नाप भूमि से सम्बन्धित भूमिधरो के स्वामित्व व उनकी अनापत्ति संलग्न की जानी है। जो की प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 35 में संलग्न है।
13	प्रस्ताव में वनाधिकारी से सम्बन्धित प्रपत्र पूर्ण रूप से संलग्न नहीं किये गये है। जिसमें उप जिला स्तरीय समिति की बैठक का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। ग्राम सभा की बैठक से सम्बन्धित प्रपत्र में तिथि अंकित नहीं की गयी है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में वनाधिकार से सम्बन्धित प्रपत्र पूर्ण रूप से संलग्न है जिसमें उपजिला स्तरीय समिति की बैठक का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। ग्राम सभा की बैठक से सम्बन्धित प्रपत्र में तिथि अंकित कर दी गयी है।
14	भारत सरकार के पत्र संख्या– 5–3/2011–एफ0सी0 (वोल–1) दिनांक 06.01.2022 द्वारा एन0पी0वी0 की दरों का पुनर्निर्धारण किया गया है। जिनमें एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि जमा करायी जानी है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के पत्र संख्या– 5–3/2011–एफ0सी0 (वोल–1) दिनांक 06.01.2022 द्वारा एन0पी0वी0 की दरों का पुनर्निर्धारण किया गया है। जिनमें एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि जमा करायी जायेगी। पृष्ठ संख्या–74

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार सूचना अपने स्तर से अपर प्रमुख एवं नोडल अधिकारी भूमि संरक्षण निदेशालय, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार 04 प्रतियों में।

भवदीय,

(आर0सी0काण्डपाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

पत्रांक 293 / 12-1 **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।